रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2006/माघ 14, 1927

No. 40] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2006/MAGHA 14, 1927

IndiaCode

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

सा. का. नि. 46(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण(संरक्षण)अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण(संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) प्रथम संशोधन नियम 2006 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की या अन्यथा वर्णित तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की, अनुसूची- । में -

(I) क्रम संख्या 10 में सीमेन्ट प्लांट्स टोटल डस्ट से संबंधित मौजूद प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

क्र. सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
"10.	सीमेन्ट प्लांट्स	क. टोटल डस्ट सयंत्र क्षमता	मानक मि.ग्रा./सा.घन मी. से अधिक नही होगा
		(I) 200 टन/दिन (सभी अनुभाग)	400

(1)	(2)	(3)	(4)
		(ii) 200 टन से अधिक/ दिन (सभी अनुभाग)	250

ख उत्सर्जन

(i) सीमेन्ट सयंत्रों के लिए जिनमें ग्राईडिंग यूनिट जो अत्यधिक प्रदूषित या शहरी क्षेत्रों, जिनकी जनसंख्या एक लाख या इससे ऊपर हो, सम्मिलित है (जिसमें शहरी सीमा के बाहर 5 किलोमीटर की दूरी सम्मिलित है):

धूल कण पदार्थ	100 मि.ग्रा./सा.घन.मी.

(ii) न्यू सीमेंट किल्न्स जिसमें वे ग्राइन्डिंग यूनिटें भी शामिल हैं, जिनकी अधिसूचना की तारीख के बाद से स्थापना की जानी हैं,

धूल कण पदार्थ	50 मि.ग्रा./सा.घन.मी.

* केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार ।" ;

(II) क्रम संख्या 18 में एलुमिनियम से संबंधित और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा:

(III) क्रम संख्या 27 में एस्बेस्टोस में मनुफैक्चरिंग युनिटें (जिसके अंतर्गत ऐसी सभी प्रक्रियायें हैं जिसमे एस्बेस्टोस का उपयोग अन्तवर्लित है) से संबंधित स्तंभ 4 में मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखि प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी :-

1	2	3	4
		शुद्व एस्बेस्टोस पदार्थ	"0.5 फाइबर*/सीसी, अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के लिए 0.2 फाइबर*/सीसी, अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष पश्चात" ;

(iv) क्रम संख्या 36 में ऐलुमिनियम संयंत्र से संबंधित ;

(क)मद (ख) में उप-मद (ii)और उप मद (iii)और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिओं को क्रमश: रखा जाएगा अर्थात:

IndiaCode

1	2	3	4
			50 मि.ग्रा./सा.घन मी.
(ii) एनोड पकाई भट्टी		तदैव	
(iii) पात्र कक्ष		सोडर वर्ग प्रौद्योगिकी* के लिए कुल फ्लोराइड	31 दिसम्बर, 2006 तक 2.8कि0ग्रा0/टन, 31दिसम्बर, 2006 तक
		पूर्व पकाई प्रौद्योगिकी के लिए	0.8 कि0ग्रा0/टन 31 दिसम्बर, 2006 तक

* स्तंभ 4 में दिए गए वी.एस.एस, एच.एस.एस. पी.बी.एस.डब्ल्यू एवं पी.बी.सी.डब्ल्यू के लिए पृथक मानक उत्सादित समझे जाएंगे ।

(ख) मद संख्या (ग) और उससे संबंधित, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात:-

1	2	3	4
		"(ग) फोरेज फ्लोराइड के लिए मानक -	
		- बारह निरन्तर महीनों का औसत -	40 पी.पी.एम.
		- दो निरन्तर महीनों का औसत -	60 पी.पी.एम
		- एक महीने का औसत -	80 पी.पी.एम." ;

(v) क्रम संख्या 40 में नाशक जीवमार विनिर्माण और सूत्रण उद्योग से संबंधित निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत में अंत: स्थापित की जाएंगी ; अर्थात:-

1	2	3	4
			मानक (मिग्रा/सा.घन मी.) से अधिक नही होगा
		"**उत्सर्जन**	
		HCL	20
		CL_2	5
		H_2S	5
		P_2O_5 (जैसे H_3PO_4)	10
		NH_3	30
		नाशक जीवमार सम्मिश्रण के साथ विविक्त पदार्थ	20
		CH_3CL	20
		HB_r	5" ;

(vi) क्रम संख्या 79, में **'कोक भट्टी संयंत्र** (उपोत्पाद उपलब्धि प्रकार)' से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4		
"79	**'कोक भट्टी संयंत्र** (उपोत्पाद उपलब्धि प्रकार)'		नई बैटरियां (ग्रीन फील्ड साइट पर)	पुन:निर्मित बैटरियां	विद्यमान बैटरियां
		आशुलोप दृश्य उत्सर्जन			
		(क) दरवाजे से रिसाव	5(पी एल डी)*	10(पी एल डी)*	10(पी एल डी)*
		(ख) चार्जिंग ढक्कनों से रिसाव	1(पी एल एल)*	1(पी एल एल)*	1(पी एल एल)*
		(ग) ए पी कवर से रिसाव	4(पी एल ओ)*	4(पी एल ओ)*	4(पी एल ओ)*
		(घ) चार्जिंग उत्सर्जन (द्वितीय/चार्ज)	16(एच पी एल ए सहित)*	50(एच पी एल ए सहित)*	75
		कोक भट्टी का स्टेक उत्सर्जन			
		(क) SO_2 (मि.ग्रा./सा.घन मी.)	800	800	800
		(ख) NO_x (मि.ग्रा./सा.घन मी.)	500	500	500
		(ग) एस पी एम (मि.ग्रा./सा.घन मी.)	50	50	50
		(घ) चार्जिंग के दौरान एस पी एम उत्सर्जन - स्टैम्प चार्जिंग बैटरी के लिए (स्टेक उत्सर्जन मि.ग्रा./सा.घन मी.)	25	25	25
		(ङ) कोक पुशिंग के दौरान एस पी एम उत्सर्जन (स्टेक उत्सर्जन) कोक का ग्राम/टन	5	5 (स्थाई भूमि आधारित प्रणाली के लिए लागू)	--
		(च) हीटिंग के लिए प्रयोग की गई कोक भट्टी गैस में सल्फर की मात्रा (मि.ग्रा./सा.घन मी.)	800	--	--
		क्वेंचिग आपरेशन के लिए उत्सर्जन			
		(क) उत्पादित कोक का विक्त पदार्थ ग्राम/टन	50	50	--
		कार्य जोन एयर में बेंजो-पाइरीन (बी ए पी) सान्द्रता (यू जी/एम^3)			
		(क) बैटरी क्षेत्र (बैटरी का ऊपरी भाग)	5	5	5
		(ख) कोक भट्टी संयंत्र मे अन्य यूनिट	2	2	2
		(ग) परिवेशी वायु मानक (मि.ग्रा./सा.घन मी.)	10	10	10

उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए और कार्यजोन क्षेत्र में पर्यावरणीय गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा ,अर्थात :

(i) नई कोक भट्टी यूनिटों के न्यून उत्सर्जन प्रक्रियाओं में से किसी एक का पालन करेंगी जैसे कोक शुष्क शीतल, अनुपलब्धि कोक भट्टियां /अप्रत्यक्ष शमन प्रक्रिया, जम्बो कोक भट्टी रिएक्टर, उपांतरित आर्द्र शमन प्रणाली जिनमें उपयुक्त पर्यावरण नियंत्रक (उदाहरणार्थ व्यावरोधक, फिल्टरकारी मीडिया, शमन टावर और पुन: चक्रण से उत्पन्न अपशिष्ट जल का संग्रहण और शोधन; शमन के लिए बहिस्राव डिस्चार्ज मानकों के अनुरूप उपचारित बहिस्राव का प्रयोग किया जा सकता है । प्रसंस्कृत जल के रुप में अशोधित प्रक्रिया वाले जल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी) ।

(ii) मुख्य चार्जिंग प्रणाली (एच पी एल ए)पर भट्टी द्वारों और फ्रेम सील की व्यापक सफाई और रखरखाव,एसेन्सन पाईपों चार्जिंग छिद्रों ओर ढक्कनों तथा अन्य यंत्रों के लिए प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपाय ।

कोल चार्जिंग और कोक पुशिंग उत्सर्जन कम करने के लिए क्ले सुसपेंशन के साथ उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली सहित मोडीफाइड गाईड/ट्रांसफर कार आदि का प्रयोग किया जाएगा ।

(iii) नई कोक भट्टी बैटरियों के पुर्ननिर्माण या स्थापना के दौरान निम्नलिखित स्वच्छ प्रौद्योगिकी और प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाए जाएं:

(क) एयर-कूल्ड सेल्फ सीलिंग दरवाजे ।

(ख) दरवाजों और दरवाजों की चौखट को साफ करने के लिए 600 किग्रा0/सै.मी.^{2} की हाइड्रोजेट प्रेशर सुविधा वाली हाइड्रोजेट सफाई प्रणाली प्रदान की जाएगी ।

(ग) चार्जिंग कार में चार्जिंग हवा बंद सील्ड चार्जिंग नलियों और स्क्रू फीडर से की जानी चाहिए । चार्जिंग कार भी मैग्नेटिक लिडलिफ्टर और लिड तथा फ्रेम क्लीनिंग मेकेनिज्म (टाप चार्जिंग बैटरियों के लिए) से सज्जित होनी चाहिए ।

(घ) गूज नेक में उच्च दाब अमोनिया द्रव (एच पी एल ए) इंजेक्शन के माध्यम से एसपिरेशन देना और उत्सर्जन को सीधे गैस कलेक्टिंग मेन्स में ट्रांस्फर किया जाना चाहिए ।

(ड) वाटर सील्ड ए पी कवर लगाए जाने चाहिए ।

(च) कम्प्यूटरीकृत दहन नियंत्रण और नमी नियंत्रण प्रणालियां ।

(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त नई कोक भट्टी बैटरियाँ जिनकी स्थापना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् ग्रीन फील्ड क्षेत्र में होगी और जहां कहीं तकनीकी रुप से संभव हो, तैयार की गई बैटरियों, को भी लगाया जाए जिससे गैस क्लीनिंग के लिए कलेक्शन हुड और वैट स्क्रबिंग यूनिटों के साथ स्टेशनरी भू-आधारित प्रणाली के साथ उनके पुशिंग उत्सर्जन का उपचार किया जा सके ।

(v) आर्द्र शमन के साथ मौजूद कोक भट्टीयों के मामले में नई प्रक्रियाएं जैसी (i) और (ii) में दी गई है, उन्हें अंगीकृत किया जाएगा ।

309 GI/06-2

(vi)	सामयिक दिखाई देने वाले उत्सर्जन मानक जैसे पी एल डी*, पी एल एल*, और पी एल ओ*, चार्जिंग उत्सर्जन (द्वितीय/चार्ज)	

नोट : इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् स्थापित यूनिटों को नई यूनिटें माना जाएगा ।

* एच पी एल ए- गूज नेक में उच्च दबाव लिकर का इंजेक्शन के माध्यम से एसपिरेशन ।
* पी एल डी - प्रतिशत रिसाव दरवाजे ।
* पी एल एल - प्रतिशत रिसाव ढक्कन, और
* पी एल ओ - प्रतिशत रिसाव आफटेक्स ।

[फा. सं. क्यू-15017/95/2000-सी. पी. डब्ल्यू.]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम का.आ.सं. 844 (अ.), तारीख 19 नवम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ.सं. 433 (अ.), तारीख 18 अप्रैल, 1987, का.आ.सं. 64 (अ.), तारीख 18 जनवरी, 1988, का.आ.सं. 3 (अ.), तारीख 3 जनवरी, 1989, का.आ.सं. 190 (अ.), तारीख 15 मार्च, 1989, सा.का.नि. 913 (अ.)तारीख 24 अक्तूबर, 1989, का.आ.सं. 12 (अ.), तारीख 8 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 742 (अ.), तारीख 30 अगस्त, 1990, का.आ.सं. 23 (अ.), तारीख 16 जनवरी, 1991, सा.का.नि. 93 (अ.) तारीख 21 फरवरी, 1991, सा.का.नि. 95 (अ.) तारीख 12 फरवरी, 1992, सा.का.नि. 329 (अ.) तारीख 13 मार्च, 1992, सा.का.नि. 475 (अ.) तारीख 5 मई, 1992, सा.का.नि. 797 (अ.) तारीख 1 अक्तूबर, 1992, सा.का.नि. 386 (अ.) तारीख 28 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 422 (अ.), तारीख 19 मई, 1993, सा.का.नि. 801 (अ.) तारीख 31 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 176 (अ.), तारीख 3 अप्रैल, 1996, सा.का.नि. 631 (अ.), तारीख 31 अक्तूबर, 1997, सा.का.नि. 504 (अ.), तारीख 20 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 7 (अ.), तारीख 2 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 682 (अ.), तारीख 6 अक्तूबर, 1999, सा.का.नि. 742 (अ.), तारीख 25 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 72 (अ.), तारीख 6 फरवरी, 2001, सा.का.नि. 54 (अ.), तारीख 22 जनवरी, 2002, सा.का.नि. 371 (अ.), तारीख 17 मई, 2002, सा.का.नि. 489 (अ.), तारीख 9 जुलाई, 2002, का.आ.सं. 1088 (अ.), तारीख 11 अक्तूबर, 2002, सा.का.नि. 849 (अ.), तारीख 30 दिसम्बर, 2002, सा.का.नि. 520 (अ.), तारीख 1 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 92 (अ.), तारीख 29 जनवरी, 2004, सा.का.नि. 448 (अ.), तारीख 12 जुलाई, 2004, और शुद्धि पत्र सा.का.नि. 520 (अ.), तारीख 12 अगस्त, 2004, सा.का.नि. 272 (अ.), तारीख 5 मई, 2005 और सा.का.नि. 315 (अ.), तारीख 16 मई, 2005, और सा.का.नि. 546 (अ.) तारीख 30 अगस्त, 2005 के द्वारा उनमें संशोधन किया गया ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

G. S. R. 46(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

(1) These rules may be called the Environment (Protection) First Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette or otherwise as mentioned.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, -

(I) In serial number 10, relating to **'Cement Plants Total Dust'**, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
"10.	**Cement Plants**		not to exceed mg/Nm^3
		A. Total Dust	
		Plant Capacity	
		(i) 200 tonnes/day (all sections)	400
		(ii) Greater than 200 tonnes/day (all sections)	250
		B. Emissions	

(i) For Cement Plants, including Grinding Units, located in critically polluted* or urban areas with a population of one lakh and above (including 5 Km distance outside urban boundary):

Particulate matter	100mg/Nm^3

(ii) New Cement Kilns, including Grinding Units to be installed after the date of notification:

Particulate Matter	50 mg/Nm^3

* As per the guidelines of the Central Pollution Control Board." ;

(II) the serial number 18, relating to '**Aluminum;** and entries relating thereto shall be omitted;

(III) in serial number 27, relating to '**Asbestos manufacturing units (including all processes involving the use of Asbestos),** in column 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4
	-	Pure Asbestos material	" 0.5 fibre */cc for one year from the date of notification 0.2 fibre */cc after one year from the date of notification" ;

(IV) in serial number 36, relating to '**Aluminum Plants ,-**

(a) in item (b), for the sub-item (ii) and (iii) and entries relating thereto, the following entries shall respectively be substituted namely:-

1	2	3	4
" (ii)	Anode Bake Oven	-do-	50 mg/Nm3
(iii)	Pot room	Total fluoride	2.8 Kg/ton by 31st

For Soderberg* Technology	December 2006
For Pre-baked Technology	0.8 kg/t by 31st December 2006.

* Separate standards for VSS, HSS, PBSW & PBCW as given in column 4 stands abolished.";

(b) for the item (c) and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4

"(c) Standards for forage fluoride-

- Twelve consecutive months average	-	40 ppm
- Two consecutive months average	-	60 ppm
- One month average	-	80 ppm" ;

(V) in serial number 40, relating to '**Pesticides Manufacturing and Formulation Industry**', the following entries shall be inserted at the end, namely:-

1	2	3	4

" **EMISSIONS**	not to exceed mg/Nm3
HCl	20
Cl_2	5
H_2S	5
P_2O_5 (as H_3PO_4)	10
NH_3	30
Particulate matter with pesticides compounds	20
CH_3Cl	20
HBr	5 " ;

(VI) in serial number 79, relating to '**Coke oven plants** (by product recovery type)', for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4		
"79	**Coke Oven Plants** (by product recovery type)		New Batteries (at Green Field Site	Rebuild Batteries	Existing Batteries
		Fugitive Visible Emissions			
		(a) Leakage from door	5 (PLD)*	10 (PLD)*	10 (PLD)*
		(b) Leakage from charging lids	1 (PLL)*	1 (PLL)*	1 (PLL)*
		(c) Leakage from AP Covers	4 (PLO)*	4 (PLO)*	4 (PLO)*
		(d)Charging emission (second/charge)	16 (with HPLA)*	50 (with HPLA)*	75
		Stack Emission of Coke Oven			
		(a) SO_2 (mg/Nm^3)	800	800	800
		(b) NO_x (mg/Nm^3)	500	500	500
		(c) SPM (mg/Nm^3)	50	50	50
		(d) SPM emission during charging - for stamp charging batteries (stack emission mg/Nm^3)	25	25	25
		(e) SPM emission during coke pushing (stack emission) gm/ton of coke	5	5 (applicable to stationary land based system)	-
		(f) Sulphur in Coke Oven gas used for heating (mg/Nm^3)	800	-	-
		Emission for quenching operation			
		(a) Particulate matter gm/tonne of coke produced	50	50	-
		Benzo-Pyerine (BaP) concentration in work zone air (ug/m^3)			
		(a) Battery area (top of the battery)	5	5	5
		(b) Other units in coke oven plant	2	2	2

		(c) Ambient air standards (mg/Nm^3)	10	10	10

For control of emissions and to maintain environmental quality in work zone area, the following guidelines shall be followed, namely:

(i) New coke oven units shall follow any of the low-emission procedures, such as, coke dry cooling, non-recovery coke-ovens. Indirect Quenching Process, Jumbo coke oven reactor, Modified Wet Quenching System with appropriate environmental controls (e.g. baffles, filtering media, collection and treatment of residual water from quench tower and recycling; Treated effluent conforming to the effluent discharge standards can be used for quenching. Use of untreated process water as quenching water shall not be permissible).

(ii) Effective pollution control measures e.g. Extensive maintenance and cleaning of oven doors and frame seals, ascension pipes, charging holes and lids and other equipment; On-main charging system (HPLA);

Luting charging holes with clay-suspension; Modified guide/transfer car with emission control system etc. shall be used to reduce coal charging and coke pushing emissions.

(iii) During rebuilding or installing new coke oven batteries, the following clean technology and pollution control measures be adopted:

(a) air-cooled self-sealing doors;

(b) the hydro-jet cleaning system shall be provided for the door and door frame cleaning with a facility of hydro jet pressure of 600 kg/cm^2;

(c) the charging should be accomplished with hermetically sealed charging sleeves and screw feeder in charging car. The charging car should also be equipped with magnetic lid lifter and lid and frame cleaning mechanism (applicable to top charging batteries);

(d) to provide aspiration through high-pressure ammonia liquor (HPLA) injection in goose neck and emission should be transferred directly to gas collecting mains;

(e) water sealed AP covers should be provided;

(f) computerized combustion control and moisture control systems.

(iv) In addition to the above the new coke oven batteries, which will be installed after the date of publication of this notification at green field

site and rebuild batteries wherever technically feasible should also be equipped to treat their pushing emissions with stationary land-based system with collection hood and wet scrubbing units for gas cleaning.

(v) In the case of existing coke ovens with wet quenching, the new procedures as in (i) and (ii) shall be adopted.

(vi) The fugitive visible emission standards i.e. PLD*, PLL* and PLO*, charging emission (second/charge).

Note: Units set up after the publication of this notification shall be treated as new units.

*HPLA - Aspiration through high pressure liquor injection in gooseneck;

*PLD - Percent leaking doors;

* PLL - Percent leaking lids; and

* PLO - Percent leaking off takes.

[F. No. Q-15017/95/2000-CPW]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E) dated 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433(E) dated 18th April, 1987, S.O. 64(E) dated 18th January, 1988, S.O. 3(E) dated 3rd January, 1989, S.O. 190(E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913(E) dated 24th October, 1989, S.O. 12(E) dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742(E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23(E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93(E) dated the 21st February, 1991, G.S.R. 95(E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329(E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475(E) dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797(E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386(E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422(E) dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801(E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176(E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631(E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504(E) dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7(E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682(E) dated the 6th October, 1999, G.S.R. 742(E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72(E) dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54(E) dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371(E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489(E) dated the 9th July, 2002, S.O. 1088(E) dated the 11th October, 2002, G.S.R. 849(E) dated the 30th December, 2002, G.S.R. 520(E) dated the 1st July, 2003 and G.S.R. 92(E) dated the 29th January, 2004, G.S.R. 448 (E) dated the 12th July, 2004 and Corrigenda G.S.R. 520(E) dated 12th August, 2004, G.S.R 272 (E) dated 5th May 2005, G.S.R. 315 (E) dated 16th May 2005 and G.S.R.546 (E) dated 30th August, 2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.